



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 07868 -241222 (नि.) 222288, फैक्स (का.) 241801 (नि.) 222960
-:: संशोधित आदेश ::-

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)
क्रमांक/कले/SW/2020/906 कांकेर, दिनांक 19 मई, 2020


नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक 253/स.सा.प्र.वि/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक-17.05.2020 में दिए गए निर्देशानुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक/कले/SW/2020/895 कांकेर, दिनांक 17 मई, 2020 द्वारा केवल स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकान/प्रतिष्ठानों को सोमवार से शुक्रवार तक शासन के आदेशों के अधीन (शुक्रवार की सायं 5.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन रखते हुए) सायं 05.00 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई है।

2/ दिनांक 19.05.2020 को अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, अध्यक्ष किराना संघ एवं अन्य व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधियों साथ बैठक के दौरान दुकान/प्रतिष्ठान संचालन में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जारी गाईड लाईन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का दुकान/प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा पालन किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है:-

3/ उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अनुमति प्राप्त दुकान/प्रतिष्ठानों को सायं 06.00 बजे तक संचालन की अनुमति दी जाती है।

4/ जिले में स्थाई दुग्ध दुकानों/प्रतिष्ठानों को शनिवार एवं रविवार (पूर्वतः लॉकडाउन के दौरान) को प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी एवं ग्रामीण/ शहरी दुग्ध उत्पादकों को शनिवार एवं रविवार (पूर्वतः लॉकडाउन के दौरान) को प्रातः 07.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक घर पहुँच सेवा (Home Delivery) की अनुमति होगी।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।



(के. एल. चौहान)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी

“गढ़बो नवा छत्तीसगढ़” जिला उत्तर बस्तर कांकेर

पृ. क्रमांक/कले/SW/2020/906-A
प्रतिलिपि :-

कांकेर, दिनांक 19 मई, 2020

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
8. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
10. उप संचालक, जनसंपर्क, कांकेर को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
11. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी कांकेर को पालनार्थ।
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
13. सर्व थाना/चौकी प्रभारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
15. अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ एवं समस्त व्यापारियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव की गाईड लाईन/सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने अग्रेषित।


कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर